संख्या- 2/2018/393/44-1-2018-3(बजट-03)/2017

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सार्वजनिक उद्‌यम ब्यूरो निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

सार्वजनिक उद्‌यम अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये स्वीकृत विभागीय बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 के क्रम में आपके पत्र संख्या-3036/ब्यूरो/लेखा(बजट)/2017-29/2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 द्‌वारा उपलब्ध कराये गये आय-व्ययक अनुमान के आधार पर वित्तीय वर्ष् 2018-2019 के लिये बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानों के अनुसार अनुदान संख्या-85 के लेखा शीर्षक-"3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-सार्वजनिक उद्‌यम निदेशालय" तथा "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-04-सार्वजनिक उद्‌यम विभाग(आडिट प्रकोष्ठ)" के अन्तर्गत विभिन्न मदों में दर्शायी गयी धनराशियों को वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यय करने हेतु कुल धनराशि रूपये 617.46 लाख (छ:करोड़ सत्रह लाख छियालिस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये स्वीकृत विभागीय बजट प्राविधान के सापेक्ष सार्वजनिक उद्‌यम ब्यूरो निदेशालय एवं सार्वजनिक उद्‌यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के लिए स्वीकृत धनराशियों का विवरण निम्नवत् है-

03- सार्वजनिक उद्‌यम निदेशालय **(धनराशि लाख रूपये में)**

मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	450.00
02- मजदूरी	2.00
03- मंहगाई भत्ता	45.00
04- यात्रा व्यय	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
06- अन्य भत्ते	27.00
07- मानदेय	2.00
08- कार्यालय व्यय	5.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13- टेलीफोन पर व्यय	1.50
14- मोटर गाडियों का क्रय	----
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00
42- अन्य व्यय	0.50
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	2.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00
49- चिकित्सा व्यय	15.00
51- वर्दी व्यय	0.01
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	28.54
योग	**600.05**

(रूपये छः करोड़ पॉच हजार मात्र)

<u>04- सार्वजनिक उद्‌यम विभाग(आडिट प्रकोष्ठ)</u> **(धनराशि लाख रूपये में)**

मद संख्या	**वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि**
01- वेतन	10.00
02- मजदूरी	0.10
03- मंहगाई भत्ता	1.00
04- यात्रा व्यय	0.10
06- अन्य भत्ते	0.75
07- मानदेय	0.10
08- कार्यालय व्यय	0.40
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.60
13- टेलीफोन पर व्यय	0.30
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42- अन्य व्यय	0.25
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.10
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50
49- चिकित्सा व्यय	0.30
51- वर्दी व्यय	0.01
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.50
योग	**17.41**

(रूपये सत्रह लाख इक्तालिस हजार मात्र)

3- उपरोक्त धनराशि उक्त विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही है।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

6- उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदानों को विभागवार/विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष, अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि रह जाने की सम्भावना रहती है। अत: जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये, जिससे महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद में व्यय के आंकड़ों की बुकिंग में त्रुटियॉ न होने पायें।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2/2018/393(1)/44-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रथम महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त् (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/2

6- संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।

8- उपनिदेशक/विशेष कार्याधिकारी, सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ), उ0प्र0, लखनऊ।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ), उ0प्र0, लखनऊ।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।